न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया।
पीठासीन अधिकारी:— जय कौशिक आर.ए.एस।
प्रकरण संख्या:— 600 / 2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

1. बुटासिह पत्रु रतन सिह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया।

वादीगण

बनाम

1. रतन सिह पुत्र गजन सिह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया।
2. रोशनी पत्नी जोनी कुमार पुत्री रतनसिह जाति अराई निवासी मनोला तहसील मूनक जिला संगरूर।
3. रितु पत्नी जोगिन्द्र पाल पुत्री रतनसिह जाति अराई निवासी ज्योतिसर कुरूक्षेत्र
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी
2— श्री कन्हैया लाल स्वामी — वकील प्रति सं. 1 ता 3

निर्णय दिनांक :— 19.12.2024

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रतनसिह पुत्र गजन सिह तहसील राजस्व संगरिया के चक नं. 18 एमकेएस खाता सख्या 28 / 18 में कुल खाता 3.164 है. मे से 2911 / 15820 हिस्सा यानि 0.5822 है. व चक नं. 17 एमकेएस खाता संख्या 19 / 80 में कुल खाता 0.759 है. मे से 1 / 5 हिस्सा यानि 0.151 है. व चक नं. 16 एमकेएस खाता संख्या 44 / 34 में कुल खाता 3.036 है. मे से 1 / 5 हिस्सा यानि 0.6072 है. व तहसील हनुमानगढ के चक नं. 3 एसटीडी खाता संख्या 26 / 22 में कुल खाता 1.366 है. मे से 1 / 5 हिस्सा यानि 0.2732 हैत्रः व चक 1 एसटीडी—ए खाता संख्या 7 / 6 में कुल खाता 4.680 है. मे से 1 / 5 हिस्सा यानि 0.936 है. नहरी कृषि भूमि का विरास्तन खातेदार काश्तकार है नकल जमाबन्दीया हमराह दावा प्रस्तुत है। उक्त समस्त कृषि भूमि हमारी विरास्तन कृषि भूमि है जिसमे मुझ वादी एवं प्रतिवादीया नं. 2 व 3 का जन्मजात हक व हिस्सा है प्रतिवादीया नं. 2 व 3 मेरी बहने है जिनकी शादी हो चुकी है जिनकी शादी वादी एवं [illegible] नं. 1 ने विरास्तन कृषि भूमि की आय से की थी व शादी के [illegible] दान दहेज के रूप में दे दिया था अब प्रतिवादीया नं. 2 व 3 उक्त [illegible] कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है उन्होने अपने विरास्तन हक हिस्सा [illegible] परित्याग कर दिया है, वादी अपने परिवार सहित पिता प्रतिवादी नं. 1 से अलग रहता हू मेरा मुख्य

[illegible] कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 14:27:29 IST
Reason: SelfAttested

पेशा कृषि है किन्तु उक्त समस्त विरासतन कृषि भूमि पिता प्रतिवादी नं. 1 के नाम होने के कारण मुझ वादी को बीज खाद आदि का ऋण लेने के लिये काफी असुविधा होती है इसलिये मै वादी अपना जन्मजात है हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का हकदार एव दावेदार हूँ। वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मौके तौर पर अच्छी मर्जी के अनुसार बंटवारा हो चुका है। मुताबिक घरूबंटवारा के मुझ वादी के हिस्सा मे तहसील राजस्व संगरिया के चक नं. 18 एमकेएस खाता संख्या 28/18 मे कुल खाता 3.164 है. मे से 2911/15820 हिस्सा यानि 0.5822 है. व चक नं. 17 एमकेएस खाता संख्या 19/80 मे कुल खाता 0.759 है. मे से 1/5 हिस्सा यानि 0.1518 है. व चक नं. 16 एमकेएस खाता संख्या 44/34 में कुल खाता 3.036 है. मे से 1/5 हिस्सा यानि 0.6072 है. नहरी कृषि भूमि आई है व प्रतिवादी नं. 1 के हिस्सा मे तहसील हनुमानगढ के चक नं. एसटीडी खाता संख्या 26/22 में कुल खाता 1.366 है. मे से 1/5 हिस्सा यानि 0.2732 है. व चक 1 एसटीडी-ए खाता संख्या 7/6 में कुल खाता 4.680 है. मे से 1/5 हिस्सा यानि 0.936 है. नहरी कृषि भूमि हिस्सा में आई है। घरूबंटवारा मुताबिक हक हिस्सा में आई कृषि भूमि वादी के कब्जा काश्त में है जिसका वादी विरासत खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का हकदार एवं दावेदार है। वादी ने कई दफा प्रतिवादी नं. 1 से अनुनय विनय की मेरा जन्मजात हिस्सा मुताबिक घरूबंटवारा के

तहसील राजस्व संगरिया के चक नं. 18 एमकेएस खाता संख्या 28/18 में कुल खाता 3.164 है. मे से 2911/15820 हिस्सा यानि 0.5822 है. व चक नं. 17 एमकेएस खाता संख्या 19/80 में कुल खाता 0.759 है. मे से 1/5 हिस्सा यानि 0.1518 है. व चक नं. 16 एमकेएस खाता संख्या 44/34 में कुल खाता 3.036 है. मे से 1/5 हिस्सा यानि 0.6072 है. नहरी कृषि भूमि का मुझ वादी को विरासतन खातेदार काश्तकार मान लेवे व इसीनुसार राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम से अमल दरामद करवा देवे किन्तु प्रतिवादी पहले तो टाल मटोल करते रहे एवं अन्त में पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया बस यही विनाय दावा है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में दर्ज समस्त कृषि भूमि हमारी विरासतन है जिसमे मुझ वादी का जन्मजात हिस्सा है। वादी अपने पिता प्रतिवादी नं. 1 से अलग रह कर घरूबंटवारा मुताबिक हक हिस्सा में आई कृषि भूमि पर काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उक्त कृषि भूमि को काश्त करने हेतु बीज खाद हेतु बैक से ऋण लेने की आवश्यकता बनी रहती है। अतः वादी को घरूबंटवारा मुताबिक हिस्सा में आई कृषि भूमि का विरासतन काश्तका[illegible] घोषित नही किया गया तो वादी को कभी न पूरा होने वाला [illegible] किसी भी प्रकार से धन से न हो सकेगी। प्रतिवादी नं. [illegible] डायरेक्ट अनुतोष नही चाहा गया है, भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 14:27:29 IST
Reason: SelfAttested

महायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

लिहाजा वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादी को चक नं 18 एमकेएस खाता संख्या 28/18 में कुल खाता 3.164 है में से 2911/15820 हिस्सा यानि 0.5822 है व चक नं 17 एमकेएस खाता संख्या 19/80 में कुल खाता 0.759 है में से 1/5 हिस्सा यानि 0.1518 है व चक नं 16 एमकेएस खाता संख्या 44/34 में कुल खाता 3.036 है में से 1/5 हिस्सा यानि 0.6072 है नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त चको के उक्त खातो से नाम कलमजन किये जाने का आदेश फरमावें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिमदार की रिपार्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता इकबालदावा व जवाबदावा मय राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। साथ पक्षकारो की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी बुटासिह ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरासतन साक्ष्य में चक 16 एमकेएस के नामान्तरण संख्या 44 दिनांक 05.07.2022 व चक 17 एमकेएस के नामान्तरण संख्या 19 दिनांक 05.07.2022 एवं चक 18 एमकेएस के नामान्तरण संख्या 28 दिनांक 05.07.2022 की प्रमाणित प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक नं. 18 एमकेएस खाता संख्या 28/18 में कुल खाता 3.164 है मे से 2911/15820 हिस्सा यानि 0.5822 है. व चक नं. 17 एमकेएस खाता संख्या 19/80 में कुल खाता 0.759 है. मे से 1/5 हिस्सा यानि 0.1518 है. व चक नं. 16 एमकेएस खाता संख्या 44/34 में कुल खाता 3.036 है. मे से 1/5 हिस्स यानि 0.6072 है नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रतनसिह के नाम दर्ज है जो हमारी जददी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 16 एमकेएस के नामान्तरण संख्या 44 दिनांक 05.07.2022 व चक 17 एमकेएस के नामान्तरण संख्या 19 दिनांक 05.07.20[illegible] 18 एमकेएस के नामान्तरण संख्या 28 दिनांक 05.07.2022 [illegible] वादपत्र के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित [illegible] स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 14:27:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो चक 16 एमकेएस के नामान्तरण सख्या 44 दिनांक 05.07.2022 व चक 17 एमकेएस के नामान्तरण संख्या 19 दिनांक 05.07.2022 एवं चक 18 एमकेएस के नामान्तरण संख्या 28 दिनांक 05.07.2022 से विरास्तन साबित है। प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर सहमति का इकबाल दावा व जवाबदावा एवं राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के इकबाल मय जवाबदावा दावा व राजीनामा एवं पैतृक संपत्ति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के इकबाल दावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चक नं. 18 एमकेएस खाता संख्या 28/18 में कुल खाता 3.164 है. मे से 2911/15820 हिस्सा यानि 0.5822 है. व चक नं. 17 एमकेएस खाता संख्या 19/80 में कुल खाता 0.759 है. मे से 1/5 हिस्सा यानि 0.1518 है. व चक नं. 16 एमकेएस खाता संख्या 44/34 में कुल खाता 3.036 है. मे से 1/5 हिस्स यानि 0.6072 है. भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री [illegible] से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को [illegible] लिखवा[illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 14:27:29 IST
Reason: SelfAttested

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस
प्रकरण संख्याः– 600 / 2024

1. बुटासिह पुत्र रतन सिह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया।

वादीगण

बनाम

1. रतन सिह पुत्र गजन सिह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया।
2. रोशनी पत्नी जोनी कुमार पुत्री रतनसिंह जाति अराई निवासी गनोटा तहसील मूनक जिला संगरूर।
3. रितु पत्नी जोगिन्द्र पाल पुत्री रतनसिह जाति अराई निवासी ज्योतिसर कुरुक्षेत्र
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्ता रूबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कन्हैयालाल स्वामी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चक नं. 18 एमकेएस खाता संख्या 28 / 18 में कुल खाता 3.164 है. मे से 2911 / 15820 हिस्सा यानि 0.5822 है. व चक नं. 17 एमकेएस खाता संख्या 19 / 80 में कुल खाता 0.759 है. मे से 1 / 5 हिस्सा यानि 0.1518 है. व चक नं. 16 एमकेएस खाता संख्या 44 / 34 मे कुल खाता 3.036 है. मे से 1 / 5 हिस्स यानि 0.6072 है. भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोटः– यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात ही अमल दरामद किया जावे।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत....X....निल....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की .... वसूलयाबी तक....X.... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक .... 2025 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 14:27:29 IST
Reason: SelfAttested

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया